निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 15/2017 (रसद अपील)

1. श्री बन्नाराम पुत्र चन्दाराम
2. लल्लू उर्फ नरेन्द्र पुत्र चन्दाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कंवर का बास, तहसील व जिला जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।
2. श्रीमती नारायणी पत्नी श्री रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम कंवर का बास, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत खण्ड 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 31.03.2005 उप तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर द्वारा पारित किया गया आदेश जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 369 दिनांक 31.03.2005 स्वीकृत किया गया है।

उपस्थित :–

1.श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

निर्णय   दिनांक 02.02.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने राजस्व ग्राम कंवर का बास तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 369 पर नायब तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस प्रत्यर्थी को जारी किये गये। प्रत्यर्थी गण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।
4. अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्राम कंवर का बास पटवार हल्का दुर्जनियावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 213 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ,खसरा नम्बर 215 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। राजस्व जमाबन्दी सम्वत

जिला कलक्टर
जयपुर

2056 से 2059 में अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स की दादी श्रीमति बरजी बेवा सोन्या के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की खातेदारी अपीलान्ट्स एवं उनकी दादी के नाम थी। अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स की दादी श्रीमति बरजी देवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2005 के अनुसार उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 211 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 213 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में अपना सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में अपीलान्ट की दादी बरजी देवी पत्नी सोन्या ने अपना स्वयं का हिस्सा 1/28 विक्रय दिनांक 10.03.2005 को उप पंजीयक जयपुर तृतीय के यहां रजिस्टर्ड किया गया । यानि अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में भूमि खसरा नम्बर 214 में 2 बीघा 17 बिस्वा में अपना हिस्सा का विक्रय नहीं किया। केवल उनकी दादी श्रीमती बरजी देवी द्वारा भूमि का बैचान किया गया। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा उप तहसीलदार कालवाड ने त्रुटिवश भूमि खसरा नम्बर 214 में भी अपीलान्ट्स का हिस्सा विक्रय दिखाते हुये अपीलाधीन भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 214 में अपने हिस्से का रेस्पोडेन्ट के हक में विक्रय नहीं किया उसके उपरान्त भी अपीलाधीन नामान्तकरण के द्वारा पूर्णत विधि विधान के विरूद्व विक्रय पत्र के विपरीत अपीलान्ट का भी सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकण रेस्पोडेन्ट के नाम भरा गया है जो पूर्ण त गलत रूप से रिकार्ड के विपरीत भर कर तस्दीक किया गया जो प्रारभिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 27.03.2017 को भूमि को विकसित करने के लिए जामाबन्दी की नकल हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने उक्त तथ्यों को प्रार्थी को बताया जिस पर अपीलार्थी ने विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2005 की नकल हेतु कार्यवाही की जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 07.04.2017 को प्राप्त हुई। इसी प्रकार की प्रार्थी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल हेतु पटवारी से सम्पर्क से सम्पर्क कर दिनांक 06.04.2017 को नकल नामान्तरकरण व वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त की। इसके पश्चात अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर नकल प्राप्त होने पर उसके पठन से उक्त नामान्तरकरण में की गई गलती को समझा। जिस पर अधिवक्ता ने यह कहा कि गलती के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 10.04.2017 को परिवारजन से बात कर पुनः दिनांक 15.4.2017 को वकील साहब से सम्पर्क कर अपने कागज देकर उक्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत करने का आग्रह किया। जिस पर अधिवक्ता ने फीस आदि का हिसाब बता कर रूपये पैसे का इंतजाम करने हेतु कहा जिस पर रूपये पैसे का इन्तजाम कर पुनः 21.04.2017 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत करने का निवेदन किया। उक्त नामान्तरकरण संख्या सरासर गलत विधि विरूद्व तस्दीक किया गया जिसकी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये तर्को से हम सहमत है। इसलिए न्यायहित में विलम्ब अवधि का कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता।

7. सम्वत 2056 से 2069 की जमाबन्दी ग्राम कंवर का बास तहसील जयपुर के खाता संख्या 33 जिसमें अपीलार्थी अन्य के साथ खसरा नम्बर 212 से 219 कीता 8 रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसके खसरा नम्बर 214 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे बरजी ने ही अपने हिस्से का विक्रय किया है, जबकि अपीलार्थीगण बन्नाराम व लल्लु उर्फ नरेन्द्र द्वारा खसरा नम्बर 214 में अपने हिस्सा का विक्रय नहीं किये जाने के बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण द्वारा हिस्सा विक्रय किया जाना अंकित कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. राजस्व ग्राम कंवर का बास तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 369 पर उप तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विक्रय पत्र में विक्रेता द्वारा जितना हिस्सा विक्रय किया गया है, उसी के अनुरुप नामान्तरकरण दर्ज करें ।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत तहसीलदार जयपुर को प्रेषित की जावे । पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

2/2/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर
जयपुर

जिला कलेक्टर जयपुर जिला, जयपुर